NPS

उत्तरांचल शासन

वित्त (सामान्य नियम–वेतन आयोग) अनुभाग–7

संख्या– 21 / XXVII(7)अ0पे0यो0 / 2005

देहरादून : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

राज्य सरकार ने, अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों और केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई रीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित "लाभ पेंशन योजना" के स्थान पर नवपरिभाषित "अंशदान पेंशन योजना" लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है :–

(i) राज्य सरकारी सेवा में और ऊपर उल्लिखित राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 01 अक्टूबर, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवायें 01 अक्टूबर, 2005 को 10 वर्ष से कम की हो, भी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।

(ii) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन, महंगाई वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत् के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्थाओं/निजी शिक्षण संस्थाओं को सेवायोजक के अंशदान के लिए तब तक अनुदान दिया जायेगा जब तक ये संस्थायें ऐसा अंशदान करने हेतु स्वयं सक्षम न हो जायें। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा, जो पेंशन टियर–1 खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रवेशकों, जो वर्तमान अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, उन्हें पूर्व से परिभाषित पेंशन सह सामान्य भविष्य निधि योजना के उपबन्धों के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

(iii) चूँकि नये भर्तीशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे, अतः वे पेंशन टियर–1 खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक टियर–2 खाता भी रख सकते हैं, परन्तु सेवायोजक टियर–2 खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। टियर–2 खाते में आस्तियों का निवेश/प्रबन्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जो पेंशन टियर–1 खाते के लिए है। तथापि, कर्मचारी अपने

"टियर- 2" खाते के धन के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर-1 को सामान्यतया छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करें और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत् का निवेश करें जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके विवाहिती के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एकमुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी जिसे वह किसी भी रीति में उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर-1 को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत् होगा।

(v) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त रूप से अपने विगत कार्य-कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे, जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सके।

2- उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल-1961 एवं उत्तर प्रदेश भविष्य निधि नियमावली-1985 के सुसंगत प्राविधान इस क्रम में संशोधित किये गये हैं।

3- दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके बाद नव-नियुक्त/भर्ती होने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रपत्र-1 (संलग्न) पर वांछित विवरण, सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रपत्र-2 (संलग्न) पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त विवरण सम्बन्धित कोषागार एवं निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड़ (डालनवाला), देहरादून को भेजा जायेगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल द्वारा प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 के आधार पर कम्प्यूटर पर आधारित एक "डाटा बेस" तैयार किया जायेगा, जिसे भारत सरकार में केन्द्रीय अभिलेखपाल/Central Record Keeping Agency (CRA) एवं पेंशन निधि प्रबन्धक को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

4- कोषागार/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंशदायी पेंशन हेतु विवरण, प्रपत्र-3 (संलग्न) पर सूचना तैयार कर वेतन देयक (bill) के साथ संलग्न करके प्रेषित किया जायेगा जिसे प्रतिमाह की 05 तारीख तक कोषागार द्वारा इसी प्रपत्र पर आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्षवार संकलित सूचित निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को उपलब्ध कराया जायेगा। जब तक कि भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए पेंशन निधि

प्रबन्धक की नियुक्ति न कर दी जाय, इस प्रकार के लेखों का रखरखाव उक्त निदेशालय द्वारा किया जायेगा। पेंशन निधि प्रबन्धक द्वारा कार्य संचालन के पूर्व इस प्रकार की निधि पर सामान्य भविष्य निधि पर अनुमन्य ब्याज दर अनुमन्य होगी, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

5– जब तक अलग से मानक मद निर्धारित नहीं किया जाता, अंशदायी पेंशन योजना के अधीन नियोक्ता के अंशदान की धनराशि को 01–वेतन मद से ही भुगतान किया जायेगा, जो वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ता की धनराशि के योग के 10 प्रतिशत् के बराबर होगी। एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के इनपुट–1 में अन्य वेतन शीर्षक के अधीन "एकीकृत पेंशन हेतु वेतन" के अन्तर्गत भुगतान पुस्तांकित किया जायेगा।

6– पेंशन निधि में नियोक्ता के अंश तथा अधिकारी/कर्मचारी के वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते की धनराशि के योग के 10 प्रतिशत् अंश की सकल धनराशि कोषागार द्वारा मुख्य लेखा शीर्षक 8011–बीमा तथा पेंशन निधि के लघुशीर्षक 106–अन्य बीमा तथा पेंशन निधि के उपशीर्षक 05–पेंशन निधि में अंशदान तथा पुनर्विनियोग की इकाई/मानक मद 33–पेंशन में जमा किया जायेगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, उक्त जमा धनराशि के आहरण वितरण हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे और भारत सरकार द्वारा पेंशन निधि प्रबन्धक नियुक्त किये जाने के बाद, उनके द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन धनराशि पेंशन निधि प्रबन्धक को भेजा जायेगा। निदेशक द्वारा पेंशन निधि से सम्बन्धी वांछित सूचना/विवरण पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA), केन्द्रीय अभिलेखपाल (CRA), राज्य सरकार तथा अन्य सुसंगत स्तरों को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– नवीन पेंशन योजना के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक : 01 अक्टूबर, 2005 होगी।

संलग्नक:– निर्धारित प्रपत्र(3)

इन्दु कुमार पान्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या– 21(1)/XXVII(7)अं0पे0यो0/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3– महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
4– रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
5– स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली।

6- सचिव, विधानसभा उत्तरांचल।
7- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
8- उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
10-निदेशक, उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
11-उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
12-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या: 52 / XXVII(7)56 / 2012
देहरादून, दिनांक: 22 मार्च,2012

NPS

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– दिनांक 01, अक्टूबर 2005 से राज्य में लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्वायत्तशासी संस्थाऐं/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि में कियान्वयन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या – 21/XXVII(7) अं0पें0यो0/2005, दिनांक 25, अक्टूबर 2005 के द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2005 को अथवा इसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आए समस्त कार्मिक और जो शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, हेतु अनिवार्य रूप से अंशदान पेंशन योजना लागू है।

इस सम्बन्ध में अब तक समय–समय पर अधिसूचना संख्या–21/XXVII (7)अं0पें0यो0 / 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005, कार्यालय ज्ञाप संख्या –132/XXVII (7) / 2006, दिनांक 24 जुलाई, 2006, सं0 – 346/XXVII (7) / 2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007, सं0– 210/XXVII (7) / 2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008, संख्या–643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 व संख्या–272/XXVII (7)56 / 2011 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 जारी किये जा चुके हैं।

पूर्व में स्वायत्तशासी संस्थाऐं/स्थानीय निकाय/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि जहां अंशदायी पेंशन योजना लागू है, तथा एकीकृत भुगतान प्रणाली के माध्यम से कोषागारों स वेतन आहरित नही होता है से सम्बन्धित कार्मिकों हेतु शासनादेश सं0 – 346/XXVII (7) / 2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007, सं0– 210/XXVII (7) / 2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008, में अंशदान के लेखांकन व धनराशि के निवेश की प्रकिया निर्धारित की गयी थी।

शासनादेश संख्या–643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों हेतु उक्त योजना का सफलतापूर्वक कियान्वयन हो रहा है। अब राजकीय कर्मचारियों की भांति राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाऐं/निकाय अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक जिनका वेतन कोषागारों से एकीकृत भुगतान लेखा प्रणाली से आहरित नही होता है और जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, हेतु योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– राज्य सरकार की ओर से निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड एवं सी0आर0ए0 व एन0पी0एस ट्रष्ट के मध्य अनुबन्ध की शर्तें उक्त संस्थाओं पर भी यथावत लागू होंगी।

2– ऐसी समस्त संस्थाऐं/विभाग राज्य स्तर पर 'एकल सम्पर्क बिन्दु' के लिए योजना से सम्बन्धित समस्त कियाकलापों के संचालन के लिए सी0आर0ए0 से इण्टरफेस के रूप में एक नोडल अधिकारी नामित करेंगें, जो योजना से सम्बन्धित समस्त कियाकलापों हेतु उत्तरदायी होगा।

3– योजना से आच्छादित कार्मिकों का डाटा व धनराशि कमशः सी0आर0ए0 व एन0पी0एस ट्रष्ट को प्रेषण से पूर्व उक्त संस्थाओं को पंजीकरण हेतु पी0एफ0आर0डी0ए0 (Pension Fund Regulatory and Development Authority) को सहमति पत्र (Letter of Consent) उपलब्ध कराना होगा जिसकी एक प्रतिलिपि सी0आर0ए0, एन0पी0एस0ट्रष्ट, सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष व राज्य के नोडल आफिस निदेशालय लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून को भी भेजी जायेंगी।

4– ऐसी संस्थाओं को सी0आर0ए0 में पंजीकरण हेतु मास्टर कियेशन फार्म (MCF), सहमति पत्र (Letter of Consent) के साथ सी0आर0ए0 को उपलब्ध करना होगा।

5– उपरोक्त प्रस्तर – 3 व 4 में उल्लेखित सहमति पत्र (Letter of Consent) व मास्टर कियेशन फार्म (MCF) प्रथम बार समस्त संस्थाओं को अनुमोदन हेतु निदेशक, लेखा एवं हकदारी के माध्यम से प्रेषित करने होंगे।

6– समस्त संस्थायें जिनमें उक्त योजना लागू है, एवं जो शासनादेश संख्या– 21/XXVII (7) अंपेंयो/दिनांक 25/10/2005 में उल्लेखित शर्तें पूरी करते हों (शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है) वे इस आशय का प्रमाण पत्र एवं संदर्भित शासनादेश भी निदेशालय लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध करायेंगी।

7– शासनादेश सं0– 174 /XXVII (7)फ0मैने0 / 2009 दिनांक 21 जुलाई, 2009 के द्वारा राज्य में नई पेंशन योजना के सम्बन्ध में निदेशक लेखा एवं हकदारी को नोडल आफिस का कार्य सौपा गया है। अतः योजना की राज्य स्तर पर मोनिटरिग हेतु सी0आर0ए0 में डी0टी0ए0 (Directorate of Treasuries & Accounts), के रूप में निदेशक लेखा एवं हकदारी का पंजीकरण पूर्व में किया गया है।

8– योजना से सम्बन्धित सी0आर0ए0 में पंजीकरण हेतु समस्त संस्थाओं को सी0आर0ए0 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार डी0टी0ओ0 (District Treasuries office) व डी0डी0ओ0 (Drawing Disbursing Officer) के फार्म कमशः N2 व N3 भरकर सी0आर0ए0 में जमा करने होंगे।

9– सी0आर0ए0 में कन्ट्रीब्यूशन फाईल अपलोड एवं ट्रष्टी बैंक में धनराशि जमा करने हेतु दो माडल उपलब्ध हैं। केन्द्रीकृत माडल जिसमें किसी विभाग/संस्था द्वारा राज्य स्तर पर समस्त आंकड़ों व धनराशि को केवल एक कार्यालय द्वारा कमशः सी0आर0ए0 व ट्रष्टी बैंक को हस्तगत किया जायेगा। विकेन्द्रीकृत माडल में राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थित कार्यालयों से कन्ट्रीब्यूशन फाईल व धनराशि अपलोड की जायेगी। इस सम्बन्ध में उपरोक्त संस्थाऐं अपनाए गये प्रारूप से मास्टर कियेशन फार्म (MCF) के माध्यम से पंजीकरण के समय सी0आर0ए0 को अवगत कराऐंगी।

10– योजना से सम्बन्धित धनराशि व आकड़ों का प्रेषण इलैक्ट्रांनिक माध्यम से होता है। अतः जिन संस्थाओं /विभागों में राज्य स्तरीय अनेक कार्यालय हैं, में योजना का प्रारूप सी0आर0ए0 को डाटा अपलोड व ट्रष्टी बैंक को धनराशि का प्रेषण हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर केन्द्रीकृत (Centralised) मोड अपनाया जायं, जिससे पूरे विभाग में एकरूपता बनी रहेगी।

11– उपरोक्त पंजीकरण प्रकिया के उपरान्त योजना से आच्छादित कार्मिकों का पंजीकरण सी0आर0ए0 से निर्धारित प्रान (Permanent retirement Account Number) फार्म Annexure S1 के माध्यम से सी0आर0ए0 के फैसिलिटेशन सेंटर, से किया जायेगा।

12– उपरोक्त फार्म एवं प्रारूप सी0आर0ए0 की वेवसाईट www.npscra .nsdl.co. in\downloads\ Forms\ Autonomous bodies पर उपलब्ध है, जिनको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

13– एक बार सी0आर0ए0 में कार्मिकों के पंजीकरण के बाद संस्थाओं को चयनित माडल (Centralized or Decentralized) के अनुरूप सब्सकाइबर कन्ट्रीब्यूशन फाईल सी0आर0ए0 सिस्टम में अपलोड की जानी होगी एवं सम्बन्धित धनराशि ट्रष्टी बैंक में जमा की जायेगी। फाईल अपलोड करने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण पंजीकरण के उपरान्त सी0आर0ए0 द्वारा दिया जायेगा।

14– पंजीकरण प्रकिया के पूर्ण होने के उपरान्त लिगेसी डाटा को यथाशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये।

15– उक्त संस्थाओं में योजना से आच्छादित कार्मिकों का सी0आर0ए0 में खाते खुलवाने, ट्रान्जक्शन चार्ज व आकड़ों का वार्षिक अनुरक्षण आदि के सम्बन्ध में एन0एस0डी0एल0 (सी0आर0ए0) को राज्य सरकार के साथ अनुबन्ध के अनुसार भुगतान सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा ही किया जायेगा।

16– शासनादेश संख्या–643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 में प्रतिनियुक्ति पर गये राजकीय कार्मिकों के जमा अंशदान का ड्राफ्ट निदेशालय लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गयी थी। परन्तु उपरोक्त व्यवस्था के बाद इन संस्थाओं/

विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों का अंशदान वेतन आहरित करने वाले विभाग/संस्था द्वारा अंशदान सीधे सी0आर0ए0 व ट्रष्टी बैंक में जमा किया जायेगा।

उक्तवत निर्गत की जा रही संशोधित व्यवस्था के दृष्टिगत इस विषय में जारी अधिसूचना कार्यालय ज्ञाप केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाये।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या 52 (1)/XXVII (7)56/ 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
5– स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6– सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7– सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
8– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
11– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
11– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
12– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
13– वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

प्रेषक,

संख्या- 3,84 /XXIV(4)/2019-01(05)/2018TC

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4

देहरादून: दिनांक 08, ~~सितम्बर~~ नवम्बर, 2019

विषय– उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों व सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों हेतु मकान किराया भत्ता पुनरीक्षित/संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–डिग्री सेवा/2018–19/10351, दिनांक 06 फरवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों (कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी; दून विश्वविद्यालय, देहरादून; श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा) एवं राजकीय महाविद्यालयों व सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों हेतु शासनादेश जारी होने की तिथि से निम्न तालिकानुसार मकान किराया भत्ता पुनरीक्षित/संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र. सं.	वेतन लेवल/ग्रेड वेतन (रू0)	श्रेणी 'बी–2' (देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल एवं रानीखेत के शहरी क्षेत्र)	श्रेणी 'सी' समस्त जनपदीय मुख्यालय, काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी कम काठगोदाम, रूड़की, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, कोटद्वार, ऋषिकेश, दुगड्डा, श्रीनगर, के शहरी क्षेत्र।	'अवर्गीकृत श्रेणी' कालम–3 व4 के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र।
1	57700–182400 (एकेडेमिक लेवल–10)	6950	5800	4650
2	68900–205600 (एकेडेमिक लेवल–11)	8300	6900	5550
3	79800–211500 (एकेडेमिक लेवल–12)	9600	8000	6450
4	131400–217100 (एकेडेमिक लेवल–13A)	12000	8000	7000
5	144200–218200 (एकेडेमिक लेवल–14)	12000	8000	7000

6	210000 00 (स्थिर)	12000	8000	7000

3– यह आदेश की वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–380/XXVII(7)/2019, दिनांक 09 अक्टूबर 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/XXIV(4)/2019-01(05)/2018TC तद्दिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

3. सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तराखण्ड शासन।
7. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग), उत्तराखण्ड।
8. वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा–निदेशक, उच्च शिक्षा।
9. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा–निदेशक, उच्च शिक्षा।
10. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या: 256/ XXVII(7) / 2009
देहरादून:दिनांक: 06 अगस्त,2009

कार्यालय–ज्ञाप

विषय:–प्रसूति अवकाश की सीमा में 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किये जाने के सम्बन्ध में

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–4–394 / दस–99–216 / 79 दिनांक 4 जून,1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था।

2.अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–4–394 / दस–99–216 / 79 दिनांक 4 जून,1999 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के सहायक नियम 153(1) के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक प्रसूति अवकाश लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान है।

3.उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों (यू0जी0सी0,ए0आई0सी0टी0ई0,आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों के लिये भी लागू होगी।

4.उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत प्रभावी रहेगीं।

5.उपर्युक्त आदेश दिनांक तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

6.संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव सचिव।

संख्या: 256 (1) / XXVII(7) / 2009 तददिनॉक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वि०आ०–सा०नि०)अनुभाग–7
संख्या– \ /XXVII(7)34(1)/2009
देहरादून : दिनांक 12 अगस्त, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

विषय:– राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य कि जाने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के अस्थायी/स्थायी महिला सेवकों को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञा संख्या–250/XXVII(7)/2009 दिनांक 24 अगस्त, 2009 द्वारा 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया है।

2. प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभागों में विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में राज्य के वित्तीय नियमों में कोई प्राविधान उपबन्धित नहीं हैं। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित), जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है, के अनुसार विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य की गयी है।

3. शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थानों आदि में विभागीय/बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर प्रसूति अवकाश की सुविधा, उस सीमा तक जो निर्धारित की गयी हो, विभागीय संविदा से नियोजित कार्मिकों को नियोक्ता द्वारा एवं बाह्य स्रोत से नियोजित कार्मिकों को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा अनुमन्य की जायेगी। अवकाश अवधि के संविदा वेतन का भुगतान यथाप्रक्रिया नियोक्ता द्वारा किया जायेगा।

4. संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियुक्त कार्मिक तथा नियोक्ता के मध्य होने वाले अनुबन्ध पत्र में ही प्रसूति अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

5. प्रसूति अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उक्त वर्णित अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– 190 / XXVII(7)34(1) / 2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निबन्धक, उत्तराखण्ड मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त सेवा प्रदाता संस्था, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 11 /xxvii(7)34 / 2011
देहरादून, दिनांकः 30 मई,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ठ परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में सन्तान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष(730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।
(2) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
(3) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत एवं अवकाश खाता रखा जाएगा।
(4) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पडने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

2– बाल्य देखभाल अवकाश(Child Care Leave) निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा:–

(i) बाल्य देखभाल अवकाश कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 3 बार अनुमन्य होगा।
(ii) बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिन से कम अनुमन्य नहीं होगा।
(iii) परिवीक्षा काल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में यदि नियुक्ति अधिकारी चाहें तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण–दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते हैं।

उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षकों(UGC,CSIR एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

3– उक्त व्यवस्था दिनांक 01 मई,2011 से प्रभावी होगी।

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त

स्पष्टीकरण–इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद नहीं समझा जायेगा।

15.10– कार्य परिषद् दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी जब कि ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्त्तव्यों के लिये विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगा :

परन्तु जहां विश्वद्यिालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे छुट्टी पर समझा जायेगा जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

भाग 2
विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये छुट्टी संबंधी नियम

15.11– छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होगी :–

(क) आकस्मिक छुट्टी;

(ख) विशेषाधिकार की छुट्टी;

(ग) बीमारी की छुट्टी;

(घ) कर्त्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी;

(ङ) दीर्घकालीन छुट्टी;

(च) असाधारण छुट्टी;

(छ) प्रसूति छुट्टी

(ज) पितृत्व छुट्टी

15.12– आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र में चौदह दिन से अधिक न होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलाई नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को अधित्यजित कर सकता है।

15.13– एक सत्र में दस कार्य–दिवस तक की विशेषाधिकार की छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और वह 60 कार्य–दिवस तक संचित की जा सकती है।

15.14– बीमारी की छुट्टी,वेतन की चालू दर और यदि छुट्टी के समय के लिये कोई प्रबन्ध किया जाय तो उसके कुल व्यय के अन्तर पर, किन्तु कम से कम आधे वेतन पर, एक सत्र में एक मास के लिये दी जायेगी और संचित नहीं होगी।

15.15– विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हों, अथवा जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परिक्षायें संचालित करने के लिये 15 कार्यदिवस तक की कर्त्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।

15.16– किसी एक सत्र में एक मास के लिये दीर्घकालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से, यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन अथवा निवृत्ति पूर्वता के लिए दी सकती है :

परन्तु ऐसी छुट्टी लम्बी बीमारी को छोडकर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है।

परन्तु यह भी कि लम्बी बीमारी की दशा में छुट्टी कार्य–परिषद् के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिये पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है।

परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "अध्यापक अधिछात्रवृत्ति" के लिये या आयोग द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण या अध्ययन के लिए किया गया हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसी अधिछात्रवृति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी सकती है।

15.17– असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य–परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये दी सकती है, किन्तु परिनियम 15.09 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, या विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये बढ़ायी जा सकती है।

स्पष्टीकरण (1)– कोई अध्यापक जो कोई स्थायी पद धृत करता हो या जो किसी निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापत्र रुप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुये, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गई असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय–मान में अपनी वेतन वृद्धि में किये जाने का हकदार होगा, धारा 35(1)

स्पष्टीकरण (2)– राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए, कोई अध्यापक जो अस्थायी पद धृत करता हो और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गई हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेंशियल हैण्डबुक, भाग 2 से 4 के फण्डामेंटल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समय–मान में ऐसे प्रक्रम पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह ऐसी छुट्टी पर न गया होता परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिये छुट्टी स्वीकृत की गई थी, लोकहित में रहा हो।

15.18– अध्यापिकाओं को ऐसी अवधि के लिये प्रसूति छुट्टी जो प्रसूति के प्रारम्भ होने के दिनांक से छः मास तक अथवा प्रसवावस्था के दिनांक से छः सप्ताह तक जो भी पहले हो, पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है:

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका की सम्पूर्ण सेवा–अवधि में दो जीवित बच्चो की सीमा तक तीन बार से अधिक नहीं दी जायेगी।

15.19– छुट्टी अधिकार स्वरुप नहीं मांगी जा सकती है। परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुये स्वीकृति प्राधिकारी किसी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है और पहले स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है और पहले स्वीकृत की गई छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

15.20– किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी अथवा लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन,छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिन से अधिक हो तो कुलपति किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक को जो उनके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण पत्र मॉगने के लिए सक्षम होगा।

15.21– दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर जो कार्य–परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, छुट्टी स्वीकृति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी कुलपति होगा।

15.22– पितृत्व अवकाश अधिकतम 15 दिन की अवधि हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में 02 बार देय होगा।

16.10– इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुये भी–

(i) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा।

(ii) यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचित या नाम–निर्देशन के दिनांक के पूर्व से महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में, कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम–निर्देशन के दिनांक से या इस परिनियमावली के आरम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उस पद पर नहीं रह जायेगा;

(iii) सम्बद्ध महाविद्यालय के ऐसे अध्यापक से जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिये निर्वाचन या नाम–निर्दिष्ट किया जाय, अपनी सदस्यता की अवधि में या, परिनियम 16.11 द्वारा उपबन्धित के सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये महाविद्यालय से त्याग–पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण–इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद नहीं समझा जायेगा।

16.11– किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र, कुलपति के पूर्वानुमोदन से उतने न्यूनतम दिन नियत करेगा जितने दिन ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध होगा :

परन्तु जहां महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जाये जो उसे देय हो, और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

भाग–2

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम

16.12– विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम से सम्बद्ध परिनियम 15.11 से 15.21 के उपबन्ध सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानों क्रमशः शब्द "कार्य परिषद् और "कुलपति" के स्थान पर शब्द "प्रबन्धतंत्र" और "प्राचार्य" रखे गये हों।

भाग–3

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु

16.13– इस भाग में, पद "नये वेतनमान" का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित सम्बन्धित उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश से है।

संख्याः २६३ /xxvii(7)–1(1)/2003 टी.सी.1/ 2020

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक२४अक्टूबर, 2021

विषयः अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2020–21 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या–7/24/2007/E-III(ए) दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 द्वारा केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2020–21 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर (अधिकतम धनराशि रू0 7000/–(रू0 सात हजार मात्र)) की सीमा निर्धारित करते हुए तदर्थ बोनस स्वीकृत किया गया है।

2. राज्य सरकार, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत के समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों और समूह 'ख' के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों जिनका ग्रेड वेतन रू0 4800/– (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल–8) तक है, जो उत्पादकता से सम्बद्ध किसी बोनस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) केवल वे कर्मचारी इन आदेशों के अन्तर्गत तदर्थ बोनस के पात्र होंगे, जो दिनांक 31–03–2021 को सेवा में थे और जिन्होंने 31 मार्च, 2021 तक न्यूनतम छः माह की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा की हो। वर्ष के दौरान छः महिने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा अनुपात भुगतान किया जायेगा, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महिनों (महिनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित संख्या) के रूप में की जायेगी।

(2) उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक माह के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा तत्पचात दिये जाने वाले बोनस के दिनों की संख्या से इसको गुणा किया जायेगा। उदाहरण के लिए मासिक परिलब्धियों की उच्चतम गणना सीमा रू0 7000/–(जहां वास्तविक परिलब्धियों रू0 7000/– से ज्यादा है) मानते हुए 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) रू0 7000 X 30/30.4 = 6907.89 (पूर्णांकित रू0 6908/–) होगा।

(3) ऐसे कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिन्होंने छः कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्ष अथवा इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, इस उत्पादकता असंबद्व बोनस (तदर्थ बोनस) के पात्र होंगे। देय तदर्थ बोनस की राशि रू0 1200 X 30/30.4 अर्थात रू0 1184.21(पूर्णांकित रू0 1184/–) होगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियों रू0 1200/– से कम है, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।

(4) इन आदेशों के अधीन तदर्थ बोनस की धनराशि रूपये के निकटतम् पूर्णांक में भुगतान की जायेगी।

(5) ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक वाद लम्बित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। जिन कर्मचारियों को वर्ष 2020–21 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(6) किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्ष में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

(7) तदर्थ बोनस की स्वीकृति के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों को मानदेय केवल महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट कार्यो के लिये ही दिया जायेगा।

(8) अवैतनिक अवकाश के मामलों को छोड़कर, अन्य प्रकार के अवकाशों की अवधि को पात्रता अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए आगणित किया जायेगा।

(9) लेखा वर्ष में किसी अवधि के लिए निलम्बित रहे कार्मिक को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा। ऐसा कार्मिक यदि निलम्बन की अवधि के लिए परिलब्धियों के लाभ सहित बहाल होता है तो वह तदर्थ बोनस के लाभ का पात्र होगा।

(10) ऐसे स्थानीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण जो लाभ में हो, के कर्मियों को भी तदर्थ बोनस की धनराशि उक्तानुसार देय होगी किन्तु उक्त का भुगतान सम्बन्धित निकाय/ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से स्वयं वहन करना होगा। इसके लिये शासन द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

3. अनुमन्य तदर्थ बोनस का भुगतान नकद धनराशि के रूप में किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को सम्बन्धित आय–व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिसमें सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय का वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अन्तर्गत पुरस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः / (1)/ xxvii(7)–1(1)/2003 टी.सी–1/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कालौगढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपकमों में यदि बोनस की देयता हो और सम्बन्धित निकाय/उपकम उक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हो तो कृपया अपने स्तर से उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने अधीनस्थ निकाय/उपकमों में नियुक्त कार्मिकों को तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। उक्त के सम्बन्ध में पुनः वित्त विभाग की सहमति की आवश्कता नहीं होगी।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
10. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
11. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

/

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।